पंचायत निर्वाचन
समय–सीमा

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक एफ–16–8/2021/22/पं.–2/498 भोपाल, दिनॉक 11.01.2022

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :–त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन–सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022.

–0–

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक 523 दिनांक 30 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) में किये गये संशोधन अनुसार प्रदेश में पंचायतों एवं उनके वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना है, जिसके लिए निम्नानुसार मार्गदर्शी दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं –

2. वर्ष 2022 में होने वाले पंचायतों के षष्ठम सामान्य निर्वाचन के पूर्व आपके जिले की पंचायतों को इस परिसीमन की प्रक्रिया में सम्मिलित करना है तथा ऐसी पंचायतों एवं उनके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी करना है, जिनका क्षेत्र/गांव नगरीय निकाय में शामिल/पृथक होने से या कोई ग्राम पंचायत या कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है या विगत परिसीमन में कोई गांव पंचायत में शामिल होने से छूट गया है (जो नगरीय निकाय या पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र में से किसी में भी सम्मिलित नहीं है) या नवगठित जिलों के लिए नवीन जिला पंचायत का गठन हुआ है। ऐसी स्थितियों की जानकारी दिनांक 17 जनवरी 2022 के पूर्व संकलित कर विचारण हेतु रखें। परिसीमन/विभाजन की कार्यवाही संलग्न समय–सारणी अनुसार पूर्ण की जाना है। **इस हेतु जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना ही रखा जावे।**

Scanned with CamScanner

3. उपरोक्तानुसार पंचायतों के परिसीमन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 3, 8, 10, 12, 23, 30, 125 एवं 127 एवं म.प्र.पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 5 एवं म.प्र.पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम 1994 का भली भांति अवलोकन करें।

(टीप– म.प्र.राजपत्र कमांक 280 दिनांक 10 जुलाई 2019 में धारा 12, 23, 30, 125, एवं 127 में हुए संशोधन का अवलोकन करे)

4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 3 एवं 8(क) के अधीन ग्राम पंचायत का गठन धारा 8(ख) एवं 23 के अधीन जनपद पंचायत के गठन के लिए एवं धारा 8(ग) एवं 30 के अधीन जिला पंचायत के गठन के लिए प्रावधान है। परिसीमन के लिए आवश्यक स्थिति यह है कि :–

4.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना–अधिनियम की धारा 125 के प्रावधान अनुसार पैरा 2 में दर्शाए अनुसार ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाना या उसके ऐसे स्थानीय क्षेत्र को जो उसके सामीप्य हो अनुसार ग्राम पंचायत जिसका मुख्यालय किसी नगरीय निकाय में शामिल हो गया हो या कोई ग्राम पंचायत या उसका कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है या विगत परिसीमन में कोई गांव छूट गया है (जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है।) अतः ऐसे ग्राम पंचायत के मुख्यालय बदले जाने या जो राजस्व/वन ग्राम एवं ग्रामों के लिए सम्मिलित होने से गठित हो सकती है उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 1000 होगी। ऐसी सूचना का प्रारम्भिक प्रकाशन (प्ररूप–एक (अ) में एवं उसको अधिसूचित करने की अधिसूचना का प्रकाशन प्ररूप–एक (ब) में किया जावे।

4.2. ग्राम पंचायत क्षेत्र का परिसीमन :– अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों अनुसार पैरा 2 में दर्शाए अनुसार "ऐसी पंचायतों के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रो को परिसीमन करना है, जिनका क्षेत्र/गांव नगरीय निकाय में शामिल/पृथक होने से या कोई ग्राम पंचायत या कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है या विगत परिसीमन में कोई गांव छूट गया है (जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नही है)। अतः परिसीमन/पुर्नगठन हेतु ग्राम पंचायत जो राजस्व/वन ग्राम एवं ग्रामों के लिए सम्मिलित होने से बनी/बनती है उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 1000 होगी और उसको कम से कम 10 वार्डो में विभाजित किया जायेगा, परंतु यदि जनसंख्या 1000 से अधिक होगी तो अधिकतम 20 वार्ड हो सकते है। ऐसे प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या यथासाध्य एक समान होगी। इस उद्देश्य के लिए मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 के अनुसार पुर्नगठन हेतु ऐसी अपवादिक ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय क्षेत्र मे प्रारंभिक प्रकाशन (प्ररूप–दो(अ) में प्राप्त

Scanned with CamScanner

दावे आपत्तियों की जांच एवं गुण दोष के आधार पर सुनवाई उपरांत अंतिम विनिश्चय का प्रकाशन प्ररूप दो(ब) किया जाए।**(टीप– म.प्र.राजपत्र कमांक 280 दिनांक 10 जुलाई 2019 में धारा 12 में हुए संशोधन का अवलोकन करें)**

4.3. जनपद पंचायत क्षेत्र का परिसीमनः–अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड के लिए जनपद पंचायत के गठन का प्रावधान है। जनपद पंचायत का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होगा तथा किसी जनपद पंचायत को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य पांच हजार हो, परन्तु जहां किसी जनपद पंचायत की जनसंख्या पचास हजार से कम है, वहां उस जनपद पंचायत को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य एक जैसी होगी। किसी भी जनपद पंचायत में पच्चीस से अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगें। यह सुनिश्चित कर लें कि यदि आपके जिले में किसी विकासखण्ड की सीमा में राजस्व विभाग की किसी अधिसूचना द्वारा कुछ ग्राम अन्यत्र राजस्व जिला या जिले के ही किसी अन्य विकास खण्ड में अंतरित होने के कारण सीमाएं परिवर्तित हुई हैं तो पूर्व से अधिसूचित जनपद पंचायत/पंचायतों की सीमाएं भी प्रभावित होगी अतएव यथा संशोधित विकास खण्ड की सीमाओं के अनुसार प्रभावित जनपद पंचायतों के क्षेत्र भी संशोधित हो जायेंगे। केवल ऐसी परिवर्तित जनपद पंचायतों का परिसीमन भी यथा संशोधित कर प्रारम्भिक प्रकाशन (प्ररूप तीन (अ)) विहित रीति मे आपके प्रकाशित किए जायेगें दावे एवं आपत्तियों की जॉच एवं गुण दोष के आधार पर सुनवाई उपरान्त अंतिम विनिश्चय की अधिसूचना (प्ररूप तीन (ब)) प्रकाशित की जाए।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार जिन–जिन विकासखण्डों की पूर्व प्रकाशित विस्तार सीमा में परिवर्तन हुए हैं, वहां प्रभावित जनपद पंचायत व निर्वाचन क्षेत्रों को नये सिरे से संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथा अनुसार संशोधित कर अंतिम प्रकाशन विहित रीति अनुसार विनिश्चिय करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि किसी भी ग्राम पंचायत का पूरा क्षेत्र जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाकर अधिसूचित किया जावे। प्रत्येक जनपद पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र और जनसंख्या 50000 तक है और कम से कम दस एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जायेगा। जनसंख्या अधिक होने पर जनपद पंचायत क्षेत्र को अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा, परंतु प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या यथासाध्य एक समान रहेगी।
(टीप– म.प्र.राजपत्र कमांक 280 दिनांक 10 जुलाई 2019 में धारा 23 में हुए संशोधन का अवलोकन करे)

Scanned with CamScanner

4.4. जिला पंचायत क्षेत्र का परिसीमन :– जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचन क्षेत्रो के परिसीमन के संबंध में अधिनियम की धारा 30 के अनुसार प्रत्येक राजस्व जिला सीमा के अनुरुप जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होगा तथा किसी जिला पंचायत को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य पचास हजार हो, परन्तु जहां किसी जिला पंचायत की जनसंख्या पांच लाख से कम है, वहां उस जिला पंचायत को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य एक जैसी होगी। किसी भी जिला पंचायत में पैंतीस से अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगें। पैरा 2 में उल्लेखित किसी परिस्थिति के कारण या नवगठित जिला होने से जिला पंचायत क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन होने पर केवल ऐसी परिवर्तित जिला पंचायतों का परिसीमन भी यथा संशोधित कर विहित रीति (प्ररूप चार (अ)) में प्रारम्भिक प्रकाशन एवं आपके द्वारा अंतिम रुप से अधिसूचित एवं प्रकाशित (प्ररूप चार (ब)) में किये जायेंगे। जिला पंचायतें जिसकी जनसंख्या 5 लाख से कम है तो उसमें कम से कम 10 सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जायेगा, परन्तु जनसंख्या अधिक होने पर सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या 35 तक हो सकती है। यह भी ध्यान रखा जावे कि किसी भी जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में पूरा शामिल किया जावे। प्रत्येक जिला सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या औसत एक जैसी रहेगी। वर्तमान में प्रदेश में 52 जिलों में 52 जिला पंचायतें गठित है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा टीकमगढ जिले से पृथक कर निवाडी जिले का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार इन नये जिले में भी नवीन जिला पंचायत का गठन राजपत्र में किया जा चुका है, एवं नये सिरे से नियत प्रकिया व्दारा संबंधित जिले के कलेक्टर को पुराने तथा नवगठित जिलो में धारा 8(ग) एवं धारा 30 के तहत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना यदि आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में परिसीमन किया जा सकता है।

(टीप–म.प्र. राजपत्र कमांक 280 दिनांक 10 जुलाई 2019 में धारा 30 में हुए संशोधन का अवलोकन करे)

Scanned with CamScanner

समय सारणी

पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन, वार्डो / निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्धारण का कार्यक्रम

ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम

1.क	नगरीय निकाय में सम्मिलित या पृथक ग्राम या ग्राम पंचायत / किसी सिंचाई परियोजना से डूब में आ गये ग्राम या ग्राम पंचायत / पिछले परिसीमन में छूट गये ग्राम (जो वर्तमान में नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नही है) ऐसी ग्राम पंचायत का विस्थापन / पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन (जनगणना 2011 के आधार पर)	17 जनवरी 2022 (सोमवार)
1.ख	नगरीय निकाय में सम्मिलित या पृथक ग्राम या ग्राम पंचायत / किसी सिंचाई परियोजना से डूब में आ गये ग्राम या ग्राम पंचायत / पिछले परिसीमन में छूट गये ग्राम (जो वर्तमान में नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नही है) ऐसी ग्राम पंचायत की स्थापना / विस्थापन / पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावें, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	25 जनवरी 2022 (मंगलवार)
1.ग	नगरीय निकाय में सम्मिलित या पृथक ग्राम या ग्राम पचांयत / किसी सिचाई परियोजना से डूब में आ गये ग्राम या ग्राम पंचायत / पिछले परिसीमन में छूट गये ग्राम (जो वर्तमान में नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नही है) ऐसी ग्राम पंचायत की स्थापना / विस्थापन / पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावें, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण की तिथि।	29 जनवरी 2022 (शनिवार)
1.घ	नगरीय निकाय में सम्मिलित या पृथक ग्राम या ग्राम पंचायत / किसी सिंचाई परियोजना से डूब में आ गये ग्राम या ग्राम पंचायत / पिछले परिसीमन में छूट गये ग्राम (जो वर्तमान में नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नही है) ऐसी ग्राम पंचायत का विस्थापन / पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावें, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण उपरान्त धारा 3 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के गठन का अन्तिम प्रकाशन।	03 फरवरी 2022 (गुरूवार)
2.क	ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण तथा उनका प्रारंभिक प्रकाशन।	11 फरवरी 2022 (शुक्रवार)
2.ख	प्रभावित ग्राम पचांयत के वार्डो के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	18 फरवरी 2022 (शुक्रवार)
2.ग	प्रभावित ग्राम पचांयत के वार्डो के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे आपत्ति एवं सुझाव पर निराकरण की तिथि।	21 फरवरी 2022 (सोमवार)

Scanned with CamScanner

2.घ	प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डो के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति एवं सुझाव के आधार पर निराकरण एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन।	23 फरवरी 2022 (बुधवार)

जनपद एवं जिला पंचायत का कार्यक्रम

3.क	जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तथा उनके क्षेत्र आदि का प्रारभिक प्रकाशन ।	04 फरवरी 2022 (शुक्रवार)
3.ख	**जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।**	11 फरवरी 2022 (शुक्रवार)
3.ग	**जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे आपत्ति एवं सुझाव के निराकरण करने की तिथि।**	15 फरवरी 2022 (मंगलवार)
3.घ	प्रभावित जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर **प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों का निराकरण एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन।**	18 फरवरी 2022 (शुक्रवार)
4.	उपरोक्त कमांक (1) से कमांक (5) का **समेकित प्रतिवेदन प्ररूप–5 एवं 6 में आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय भोपाल को भेजने की अंतिम तिथि।**	24 फरवरी 2022 (गुरूवार)
5.	**आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय व्दारा संपूर्ण राज्य की संकलित जानकारी एवं प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजने की अंतिम तिथि।**	28 फरवरी 2022 (सोमवार)

5. ग्राम पंचायत के परिसीमन की प्रारंभिक सूचना एवं अंतिम अधिसूचना जारी करने के अधिकार जिला कलेक्टर को, जनपद पंचायतो के लिए जिला कलेक्टर को तथा जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संभागायुक्तों को है।

6. ग्राम पंचायतों व उनके वार्डों तथा जनपद पंचायत व जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन की स्थिति दर्शाने हेतु प्ररूप–पांच मे तैयार किया जाएगा।

7. पचायतों एवं उनके वार्डो व निर्वाचन क्षेत्रों की प्रवर्गवार आरक्षित संख्या का निर्धारण पृथक से किया जाएगा।

8. प्रत्येक जिले द्वारा कार्यवाही करने का पालन प्रतिवेदन उसी दिवस आयुक्त सह सचालक पचायत राज संचालनालय, भोपाल तथा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, अरेरा हिल्स, भोपाल को भेजा जाए

Scanned with CamScanner

9. चूंकि अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत प्रांरभिक सूचना एवं अंतिम अधिसूचना जारी करने के अधिकार कलेक्टर को है, अतः ऐसी सूचना एवं अधिसूचना कलेक्टर को स्वयं के हस्ताक्षर एवं पदनाम से होना चाहिए। जांच कार्य के लिए कलेक्टर अधीनस्थ अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा धारा 3 के अधीन अंतिम अधिसूचना को संकलित कर जनपद पंचायतवार मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के लिए कलेक्टर अपने स्तर से शासकीय, मुद्रणालय भोपाल को भेजेंगे। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का भी प्रकाशन राजपत्र में कराया जाए।

10. कृपया उपरोक्त वर्णित कार्यवाही समय सारणी अनुसार संपादित करना सुनिश्चित करें। प्रश्नाधीन कार्य निर्धारित समय–सीमा में यथा विधि अनुसार संपादित करने के लिए कलेक्टर व्यक्तिशः तौर पर उत्तरदायी होंगे।

संलग्न–प्रपत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(उमाकांत उमराव) ·22

प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनॉक 06.01.2022

पृष्ठां. कमांक एफ–16–8/2021/22/पं.–2/499

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

---

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त सह संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल कृपया जनपद/जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों के परिसीमन/ पुनर्गठन की कार्यवाही समय–सीमा में सुनिश्चित कर अपेक्षित जानकारी शासन को भेजें।
3. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर समय–सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जानकारी भेजें।

11/1/2022

अवर सचिव

म0प्र0 शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned with CamScanner